ISBN : 978-81951728-5-6

महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारण एवं निवारण

डॉ0 नीलम नेगी
इतिहास विभाग,
डॉ बी0जी0 आर0 परिसर, पौड़ी,
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, उत्तराखण्ड

सारांश

भारत में महिलाएं हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, प्रान्तिक परिवेश में हिंसा की शिकार होती रही हैं। महिलाओं को समाज के द्वारा दी गई हर प्रकार की प्रताड़ना, उत्पीड़न और क्रूरता को सहन करना पड़ता है फिर वह घरेलू हो या शारीरिक, सामाजिक, मानसिक हो या आर्थिक हों। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बड़े स्तर पर इतिहास के पन्नों में भी साफ देखा जा सकता है।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बहुत सुखद थी। वैदिक काल भी स्त्रियों के आदर और सम्मान का युग था। बालकों के समान बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था और शिक्षा प्राप्त करने का बालकों के समान बालिकाओं को भी अधिकार था। पुरूषों के समान महिलाओं भी धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को गृहस्वामिनी, अर्धांगिनी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। उन्हे ब्रह्मवादिनी और मंत्रदृष्टा भी पुकारा जाता था। उन्हें

ISBN : 978-81951728-5-6

अपनी बौद्धिक एवं आन्तरिक शक्तियों के विकास का अधिकार प्राप्त था। डॉ0 आर0 सी0 मजूमदार वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति पर लिखते हुए कहा "परिवार में उसका स्थान आदरणीय था। दम्पति शब्द का प्रयोग गृहस्वामी और गृहस्वामिनी दोनों के लिए किया जात था।" विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रारम्भ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। वैदिक काल जहां महिलाओं के सम्मान और उत्थान का काल था वहीं उत्तर वैदिक महिलाओं के पतन का युग था। इस युग में महिलाओं को उस सम्मान और स्वतन्त्रता के उपभोग से वंचित कर दिया गया था जिसका उपभोग वैदिक युग में उनके द्वारा किया गया। अब बालिकाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार छिन जाने के कारण वे अज्ञान के अंधकार में भटकने के लिए बाध्य हो गयी। इस युग में महिलायें स्वेच्छापूर्वक इधर-उधर नहीं जा सकती थी। मनुस्मृति में मनु ने महिलाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का उल्लेख है। मनुस्मृति में लिखा है कि " स्त्रियां स्वतंत्र होने योग्य नहीं हैं क्योंकि वे स्वभाव से चंचल होती है।" इस काल से महिलाओं के दासता के सिद्धान्त को मान लिया गया और महिला की स्थिति अबला के समकक्ष हो गई थी। महिलाओं में संचेतता का अभाव होने के कारण वे अपनी स्वाधीन स्थिति से गिरकर पराधीनता की ओर अग्रसर होने लगी। इस काल के बाद समय के बदलने के साथ-साथ महिलाओं के हालातों में निरन्तर गिरावट ही होती चली गयी। परिणामस्वरूप हिंसा में होते इजाफे के कारण महिलाओं ने अपने शिक्षा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह में भागीदारी के अवसर भी खो दिए।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण उन्हें भरपेट भोजन नहीं

ISBN : 978-81951728-5-6

दिया जाता था, उन्हें अपने मनपंसद कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, उन्हें गुलाम बना के रखा जाने लगा, वैश्यावृति में धकेला गया। महिलाओं को सीमित तथा आज्ञाकारी बनाने के पीछे पुरूषों की ही सोच थी। पुरूष महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते थे जिससे वे अपनी पसंद का काम करवा सकें। भारतीय समाज में अक्सर ऐसा माना जाता है कि हर महिला का पति उसके लिए भगवान समान है। उन्हें अपने पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए तथा हर चीज के लिए उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना चाहिए। पुराने समय में विधवा महिलाओं के दोबारा विवाह पर पांबदी थी जो आज भी कई समाजों में विद्यमान है तथा उन्हें सती प्रथा को मानने का दबाव डाला जाता था। महिलाओं को पीटना पुरूष अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। महिलाओं के प्रति हिंसा में तेजी तब आयी जब नाबालिगं लड़कियों को मंदिर में दासी बना कर रखा जाने लगा। इसने धार्मिक जीवन की आड़ में वैश्यावृति को जन्म दिया।

मध्यकालीन युग में इस्लाम और हिन्दू धर्म के टकराव ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया। नाबालिग लड़कियों का कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और उन्हें हर समय पर्दे में रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी। इस कारण महिलाओं के लिए अपने पति तथा परिवार के अलावा बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क स्थापित करना नामुमकिन था। इसके साथ ही समाज में बहुविवाह प्रथा ने जन्म लिया जिससे महिलाओं को अपने पति का प्यार दूसरी महिलाओं से बांटना पड़ता था।

समय के साथ साथ महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराधों में बढ़ोत्तरी ही हुई और वर्तमान समय में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। नववधु की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा महिलाओं पर होती बड़ी हिंसा

ISBN : 978-81951728-5-6

का उदाहरण है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अमानवीय अपराध हैं। इसके अलावा महिलाओं को भरपेट खाना न मिलना, सही स्वास्थ्य सुविधा की कमी, शिक्षा के पर्याप्त अवसर न होना, नाबालिगं लड़कियों का यौन उत्पीड़न, दुल्हन को जिन्दा जला देना, पत्नी से मारपीट, परिवार में वृद्ध महिलाओं की अनदेखी आदि समस्याएं भी महिलाओं को सहनी पड़ती हैं।

भारतीय समाज के पुरूष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। लड़कियों से छेड़- छाड़, पत्नी को भ्रूण- हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला को सती प्रथ के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है। ये सभी घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहीं हैं।

21वीं सदी के भारत में तकनीकि प्रगति और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा दोनों ही साथ- साथ चल रहे है। महिलाओं के विरूद्ध होती यह हिंसा अलग- अलग तरह की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा की शिकार किसी भी जगह जैसे घर, सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में हो सकती हैं। महिलाओं के प्रति होती यह हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसे अब और ज्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं।

हिंसा का तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना। किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कह कर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही प्रारूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती परन्तु दिलों-दिमाग पर गहरा आघात जरूर पहुंचता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है तथा कार्य स्थल या

ISBN : 978-81951728-5-6

घर पर दहेज के लिए मारना, यौन शोषण, पत्नी से मारपीट, बदसलूकी जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है। ये सब घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहीं हैं। महिलाओं के प्रति होती हिंसाओं में निरंन्तर वृद्धि हो रही है और अब ये एक चिंता जनक विषय बन चुका है। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों से निपटना सरकार एवं समाज सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती एवं जिम्मेदारी भी है। हालंकि महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वे दूसरों पर निर्भर न रह कर स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाये तथ अपने अधिकारों के लिए स्वयं जागरूक हों।

शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद भी भारतीय समाज के लिए यह समस्या गंभीर एवं जटिल होती जा रही है। महिलाओ ंके विरूद्ध बढ़ रहे अपराधों के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि हमारा समाज पुरूष प्रधान सोच, कमजोर कानून, राजनीतिक ढांचे में पुरूषों का वर्चस्व तथा नाकाबिल न्यायिक व्यवस्था भी है। महिलाएं सबसे पहले हिंसा का शिकार अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपने घर पर होती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को उनके परिवार वालों, पुरूष रिश्तेदारों, पड़ोसियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।

भारत में महिलाओं की स्थिति संस्कृति, रीति-रिवाज, लोक परम्पराओं के कारण हर जगह भिन्न है। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा दक्षिण भारत के राज्यों में महिलाओं की अवस्था बाकी राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के कारण भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर केवल 940 लड़कियां ही थी। इतनी कम लड़कियों की संख्या के पीछे भ्रूण - हत्या, बाल- अवस्था में लड़कियों की अनदेखी तथा जन्म से पहले लिंग परीक्षण जैसे कारण हैं।

ISBN : 978-81951728-5-6

राष्ट्रीय अपराधिक रिकार्डस ब्यूरो के अनुसार महिलाएं अपने ससुराल में बिलकुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति होती क्रूरता में एसिड फेंकना, बलात्कार, हॉनर किलिंग, अपहरण, दहेज के लिए उत्पीड़न और कत्ल, पति अथवा ससुराल वालों द्वारा मारना पीटना आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इन आकड़ों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि ही दर्ज की जाती है।

कारण एवं निवारण

वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध और उन पर हिंसा के कई कारण हैं। अशिक्षा, जागरूकता की कमी, गरीबी, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, मानसिकता, सामाजिक कुरीतियां, और किसी हद तक धार्मिक व्यवस्थायें भी महिलाओं के विरूद्ध अपराध का कारण होती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरूषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, कुछ मामलों में बांझपन भी महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का कारण होती है। सामान्यतः शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें ज्यादा हिंसा की शिकार होती हैं। देश में 70 प्रतिशत आबादी गावों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं शिक्षा से अभी भी बहुत दूर हैं। उन्हें सरकार एवं प्रशासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन आम बात है। महिलाओं के मान-सम्मान, रोजगार की व्यवस्था, उचित मजदूरी, काम करने के लिए उचित वातावरण का अभाव जैसी कई समस्याएं महिलाओं के लिए एक प्रमुख चुनौती है। इसके अतरिक्त देश के अनेक राज्यों में अनेक क्षेत्रों में

ISBN : 978-81951728-5-6

आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव देखा जा सकता है। गांवों में गरीबी, भुखमरी, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव ने महिलाओं के जीवन को नारकीय बना दिया है। बिहार जैसे राज्यों में महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण की शिकार हैं। गांवों में चिकित्सा सुविधा आज भी नदारद है। आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ग की महिला को किसी न किसी रूप में सामाजिक हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, चाहे वो अति आधुनिक प्रवृति की हो, कामकाजी हो, समाजसेवी हो या घरेलू हो । महिलाओं पर हिंसा के कई कारण हैं जिनमें गरीबी, अशिक्षा आदि प्रमुख हैं। गरीबी होने के कारण महिलाएं घरों से बाहर निकल कर खेतों में काम करती है या मजदूरी करती है तो जाति एवं वर्ग भेद के कारण पनपने वाली असमानता के चलते भी वह बार- बार हिंसा का शिकार होती हैं। अशिक्षा महिलाओं पर हिंसा का दूसरा मुख्य कारण है अशिक्षित महिला को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है शिक्षा के अभाव के कारण भी महिलाएं कई सामाजिक कुचक्रों में फंस जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से गरीब, विधवा व असहाय महिलाओं को डायन कहकर मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने, की घटनाएं प्रायः समाचार - पत्रों की सुर्खियां बनती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं शहरों में भी घट जाती हैं। इस के अतिरिक्त महिलाओं को बेटा न होने के कारण भी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जबकि चिकित्साशास्त्र के अनुसार बेटा या बेटी के लिए पुरूष जिम्मेदार होता है। सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बेटी जनने के कारण ही हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं शहरों में भी देखी जाती हैं। कई बार तो हिंसा व प्रताड़ना से ऊबकर महिला स्वयं आत्महत्या करने को विवश हो जाती है। भूत-प्रेत और जादू-टोना का आज भी ग्रामीण इलाकों में काफी बोलबाला है। इस सबकी जिम्मेदार अशिक्षा है।

ISBN : 978-81951728-5-6

इसके अतरिक्त वर्तमान समय में देश और समाज में बलात्कार और सामुहिक बलात्कार, अपहरण, बन्धक बनाकर बलात्कार करना आदि अमानवीय घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही हैं। घर-बाहर कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। महिला चाहे कामकाजी हो या घरेलू अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। किसी भी महिला के लिए बलत्कार की घटना जीवन का सबसे काला अध्याय है। बलात्कार की शिकार महिला जीवित रहते हुए भी समाज की नजरों में एक लाश बन जाती है। उसके प्रति घर-परिवार सभी का नजरिया बदल जाता है। मानवाधिकारों के हनन ने वर्तमान में महिलाओं को काफी भयभीत कर दिया है।

महिलाओं के विरूद्ध इन अपराधों के को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाये गये लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कानून ऐसी घटनाओं के लिए सम्भवतः पर्याप्त नहीं है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत है। शिक्षा से मनुष्य का जीवन विशुद्ध प्रज्ञा सम्पन्न परिष्कृत और समुन्नत ही नहीं होता बल्कि समाज की सात्विक और नैतिक निर्देशों का पालन करता हुआ सन्मार्ग पर चलकर विकसित होता है। शिक्षा आत्मबल उत्पन्न करती है और जागरूकता लाती है, अंधविश्वास और घिसी पिटी पुरातन मानसिकता से भी शिक्षा ही छुटकारा दे सकती है। महिलाओं को जागरूक और सशक्त करने के लिए देश में महिलाओं को शिक्षा की ओर उन्मुख करने और पारिवारिक स्तर पर भी बालिकाओं को उचित शिक्षा दिये जाने हेतु जागरूकता उत्पन्न करना अति आवश्यक है।

यदि हम सही मायनों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो एक राष्ट्र के रूप में सामुहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा

ISBN : 978-81951728-5-6

करनी चाहिये तथा सामुहिक रूप से इन स्थितियों से निपटना होगा। इसके लिए राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान चलाए जाने चाहिए। लोगों को जागरूक करना ही इस समस्या से निपटने का उत्तम उपाय हो सकता है। घरेलू हिंसा, जैसे मामलों के निवारण लिए जागरूकता और शिक्षा एक वेहतर विकल्प हो सकता है। घरेलू हिंसा में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिए हमें पुरूषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हंे इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरूषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे-पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य हल है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक मानवाधिकार संगठन ने 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया, जबकि वोग इंडिया ने 'लड़के रूलाते नहीं' अभियान चलाया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए बेहतरीन प्रयास थे। इसी तरह के अभियानों के द्वारा समाज में जागरूकता लाकर इस समस्या का निवारण सम्भव हो सकता है।

इन स्थितियों में तभी परिवर्तन आ सकता है जब सोच में बदलाव आयेगा। अभी समाज में पुरूष प्रधान मानसिकता हावी है। कुछ वर्ष पहले दिल्ली के निर्भया काण्ड के मुख्य आरोपी का बीबीसी में दिये गये साक्षात्कार में घटना के लिए पीड़िता को दोषी बताना समाज की मानसिकता को ही

ISBN : 978-81951728-5-6

उजागर करता है। धार्मिक अंधविश्वास और रीति रिवाज भी कई बार महिलाओं की असुरक्षा और उनके विरूद्ध अपराध को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और अंधविश्वासों से जागरूकता और शिक्षा ही निजात दिला सकती है।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए दोहरे स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है सामाजिक बदलाव एवं कानून में सुधार की दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 32033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गये या प्रतिदिन औसतन 88 मामले दर्ज हुए। बलात्कार जैसा कृत्य महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में सबसे घिनौना कृत्य है। कई बार तो ऐसे मामलों में बदनामी के डर से पीड़िता द्वारा मामले दर्ज ही नहीं किये जाते खास कर जब अपराधी कोई निकट सम्बन्धी हो। इस प्रकार के मामलों में प्राथमिक रूप से समाज की मानसिकता बदलने, पीड़िता के प्रति समाज के रवयै और सोच में सुधार लाने की अति आवश्यकता है। तभी इस प्रकार के जघन्य अपराधों के प्रति बनाये गये कानून प्रभावी हो सकते हैं।

महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बनाये गये कानूनों से भी उनको अवगत कराया जाना जरूरी है। कई स्वयं सेवी संगठन इस दिशा में काम कर भी रहे है। समाज के स्तर पर महिलाओं और पुरूषों के सहअस्तित्व, सहयोग, सहचर्य, एक दूसरे की स्थिति का आदर करना, बालक और बालिकाओं दोनों को समान अधिकार और अवसर देने, तथा दोनों को समान समझने के लिए परिवारों और समाज को जागरूक करने से ही महिलाओं के लिए हम

ISBN : 978-81951728-5-6

समाज में एक स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण बना सकते है।

सन्दर्भ

1. महिला मानवाधिकार उल्लंघन हिंसा एवं समाधान 'ग्रामीण महिला शिक्षा' गामीण सशक्तीकरण ग्रंथमाला-19, 2011, जोस कालपुरा और नीरज कुमार, संपा0 सवलिया बिहारी वर्मा, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, page 256-259